न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 86 आर 15/07–08

रामबाबु प्रसाद वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

विनोद कुमार मुण्डा प्रतिवादी

आदेश

8
13.06.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 308/05–06 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 24.01.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
कोकर	20	293	5 कटटा

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में घोघा मुण्डा, पदम मुण्डा एवं खिजु मंण्डा के नाम दर्ज है। खिजु मुण्डा के दो पुत्र रोपना मुण्डा एवं धुर्वा मुण्डा थे जो विवादित जमीन के उत्तराधिकारी हुए। इन सभी ने तत्कालीन जमींदार से 24.8.1953 को विवादित जमीन छपरबंदी में परिवर्तित कराया। इसके बाद निबंधित वसीका संख्या 6144/61 द्वारा दिनांक 24.8.1961 को मो0 रफीक को हस्तांतरित किया जिसके नाम से वाद संख्या 446 आर 27/1961–62 द्वारा नामांतरण स्वीकृत हुआ। मो0 रफीक ने निबंधित वसीका संख्या 3357 दिनांक 12.5.1962 द्वारा विवादित जमीन भानुमति राठौर को हस्तांतरित किया। भानुमति के नाम वाद संख्या 335 आर 27/1963–64 द्वारा नामांतरण स्वीकृत हुआ। भानुमति राठौर ने निबंधित वसीका संख्या 11355 दिनांक 20.3.1973 द्वारा 2.5 कटटा जमीन अपीलकर्ता नं0 1–4 के पिता ब्रजकिशोर प्रसाद को हस्तांतरित किय। ब्रजकिशोर प्रसाद के नाम से वाद संख्या 579 आर 27/1977–78 द्वारा नामांतरण स्वीकृत हुआ। उन्होंने विवादित जमीन पर 1973 में

ही दोमंजिला मकान बना लिया था। इसी प्रकार अपीलकर्ता नं0 5 के विषय में बताया गया है कि उसने 2.5 कटटा जमीन वसीका संख्या 8514 दिनांक 9.6.2006 द्वारा वासुदेव गांगुली खरीदा है। वासुदेव गांगुली ने इसे रानी राय वगैरह से वसीका संख्या 11556/1988 द्वारा खरीदा था एवं उनके नाम से वाद संख्या 1719 आर 27/88–89 द्वारा नामांतरण स्वीकृत हुआ था। रानी राय ने विवादित जमीन वसीका संख्या 6306 दिनांक 14.4.1972 द्वारा देवाशीष राय से खरीदा था। अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निम्न न्यायालय में इन सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था परन्तु जमीन वापसी का आदेश पारित कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि यह मामला कालबाधित है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह वाद 'रेस जुडीकाटा' से भी प्रभावित है क्योंकि लुमका मुण्डा ने इसी तकरारी खेसरा 293 पर राजेन्द्र यादव के खिलाफ निम्न न्यायालय में मुकदमा दायर किया था जो कालबाधित होने के कारण खारिज हो गया। इसके विरुद्व श्री मुण्डा ने अपील वाद संख्या 9 आर 15/95–96 दायर किया जो 27.7.98 को अस्वीकृत कर दिया गया। तदोपरान्त कोई रिविजन दायर नहीं हुआ।

प्रतिवादी के विद्वान अध्विक्ता का कहना है कि मो0 रफीक ने 1961 में हस्तांतरण के पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त किया था। अतः उसको किया गया हस्तांतरण एवं उसके बाद के सभी हस्तांतरण गलत हैं। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि छपरबंदी का कोई कागजात अपीलकर्ता के पास नहीं है एवं सिर्फ आयुक्त को ही छपरबंदी में परिवर्तित करने का अधिकार है।

इस वाद में सभी तथ्यों को अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खतियानी रैयतों ने भूतपर्व मध्यवर्ती महेन्द्र नाथ साहदेव से छपरबन्दी कराया और 28.8.61 को विक्रय पटटा से निबंधित दस्तावेज के सहारे मो0 रफीक को हस्तांतरित कर दिया। 1961 के दस्तावेज में होल्डींग संख्या 2/116 दर्ज है। 12.5.1962 को मो0 रफीक ने डीड संख्या 3375 के द्वारा भानुमति राठौर को बेचा।

श्रीमती राठौर ने अपीलकर्ता के पिता ब्रजकिशोर प्रसाद को निबंधित वसीका संख्या 11355 दिनांक 20.8.73 के द्वारा हस्तांतरित किया।

तथ्यों के आधार पर इतना निश्चित लगता है कि विवादास्पद भूमि का प्रथम हस्तांतरण 1961 में हुआ था जबकि निम्न न्यायालय में विनोद कुमार मुण्डा वगैरह ने 23.8.2005 को आवेदन दिया और उसी दिन वाद संख्या 308/05–06 प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार 44 बर्षों के बाद भू–वापसी वाद दायर हुआ जबकि सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए 30 बर्षों की समय सीमा निर्धारित है।

कालबाधित होने के अतिरिक्त निम्न न्यायालय का वाद '' रेस जुडीकाटा '' (पूर्वादेश) से भी प्रभावित है। पूर्व में लुंगटा मुण्डा ने इसी खेसरा 293 पर वाद संख्या 126/91–92 दायर किया था जो 4.9.95 को खारिज हो गया। व्यथित आवेदक ने अपील वाद संख्या 9 आर 15/95–96 दायर किया जो 27.7.1998 को अस्वीकृत हो गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं वैधिक विन्दुओं के आलोक में निम्न न्यायालय का दिनांक 24.1.2008 का आदेश निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकृत।

दिनांकः– 13.06.2008 लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।